भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4840

दिनांकः 01.04.2025 को उत्तरार्थ

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013

4840. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 11 के अंतर्गत दिनांक 1.1.2014 से पांच वर्ष की अवधि या उससे अधिक वर्ष पूर्व अधिनिर्णय किए जाने की स्थिति में,भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अनुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही व्यपगत मानी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में नए अधिनियम, 2013 के प्रारंभ होने की संभावित तिथि और अर्जित भूमि केभौतिक कब्जे को नहीं माना गया और प्रतिकर नहीं दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस सिलसिले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) (क) के तहत भूमि अर्जन की कार्यवाही व्यपगत मानी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या अधिनिर्णय होने, किन्तु भौतिक कब्जा नहीं लिए जाने की स्थिति में अधिनिर्णय किए जाने के पश्चात् पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि तक प्रतिकर नहीं दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (घ): भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफ़सीटीएलएआरआर, 2013) की धारा 24 (2) के साथ पठित धारा 24 (1) तथा इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, यदि आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रवृत्त होने, अर्थात दिनांक 01 जनवरी, 2014 से पांच वर्ष की अवधि अथवा उससे अधिक समय पूर्व, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय किया गया हो और भौतिक कब्जा नहीं लिया गया हो **तथा** क्षतिपूर्ति नही दी गई हो, तो, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही व्यपगत (Lapse) हो जाती है।

यदि दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी हुई हो, अर्थात कब्जा ले लिया गया हो अथवा प्रतिकर दिया गया हो, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही व्यपगत (Lapse) नहीं होती है।

*****